

4

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-102 / 2022-23

PUNJAB NATIONAL BANK

बनाम्

M/S M.A. ENTERPRISES

-: आदेश :-

27.07.2023

प्राधिकृत पदाधिकारी, PUNJAB NATONAL BANK, CHAS BAZAR BRANCH, BOKARO द्वारा धारा 14 (1) and (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी M/S M. A. Enterprises, Prop. Md. Mansur Ansari & Md. Hasan Ansari both S/o Md. Sultan Ansari, At-Ilgah Mohalla, Haisabathu, P.S.- Balidih, P.O.- Siwandih, Bokaro के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष Punjab National Bank की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि विपक्षी ने अपनी निम्नांकित सम्पत्ति (All part and parcel of property consisting land, building and structure thereon situated at Mouza-Haisabathu, Thana No.- 22, P.S.- Balidih, Bokaro, Jharkhand, Khata No. 24, 30, Plot No. 98, 97 Total Area 5.00 Decimal standing in the name of Md. Mansur Ansari & Md. Hasan Ansari both S/o Md. Sultan Ansari Vide deed No. 298 dt. 19.01.2005.) को गिरवी रखते हुए बैंक से 16,00,000.00 (सोलह लाख) रुपये ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-30.10.2021 को ही एनपीओए हो गया है। वर्तमान में दिनांक-01.11.2021 तक ऋणकर्ता पर कुल रुपये 19,46,462.00/- के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1) & (2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर



दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।

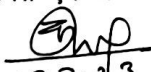
विपक्षी नोटिस प्राप्त करने के बाद भी प्रायः सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित रहे हैं। उनके द्वारा अपने बचाव में अब तक किसी भी तरह का कोई लिखित जबाब दाखिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उन्हें कुछ भी नहीं कहना है।

प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र, अभिलेख में संधारित कागजात एवं विद्वान अधिवक्ता के दलील के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई। बावजूद इसके विपक्षी के द्वारा बकाया ऋण वापसी की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी का अनुपस्थित रहना तथा अपने बचाव में किसी भी तरह का कारण-पृच्छा दाखिल नहीं किया जाना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, PUNJAB NATIONAL BANK, CHAS BAZAR BRANCH, BOKARO द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

 27.7.23 उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी बोकारो।	 27.7.23 उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी बोकारो।
---	---